न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 04 / 2021

अनवान : –

1. रमेशकुमार पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ।

– अपीलांट

बनाम्

1. विनयकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. शकुन्तला पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
3. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फेफाना तहसील नोहर।
5. ग्राम पंचायत फेफाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

–असल रेस्पोडेंटस

7. अमरसिंह पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
8. बलवत पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
9. मोहनलाल पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
10. चन्द्रकला पुत्री मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

– तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध नामान्तरण आदेश संख्या 1010 दिनांक 20.02.2008
रोही मौजा चक 1 जेएसएन ग्राम पंचायत फेफाना

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अपीलांट
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 स0 1

निर्णय दिनांकः 18/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि रोही मौजा चक न. 1 जे.एस. एन. तहसील नोहर के प.न. 357 / 362 (12) कि.न. 4 ता 8, 13 ता 15 की 2.0240 प.न. 358 / 360 (3) कि.न. 5 ता 8, 13 ता 19, 22 ता 25 की 3. 2270 प.न. 358 / 361 (8) कि.न. 3 / 1, 3 / 2, 4, 5, 6 / 1, 6 / 2, 7, 8, 12 ता 14, 15 / 1, 15 / 2, 16 / 1, 16 / 2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25 / 1, 25 / 2 की 4.2100 प.न. 358 / 362 (13) कि.न. 1 ता 12 की 3.0360 प.न. 359 / 360 (4) कि.न. 1. 9 ता 13, 18 ता 24 की 2.9340 प.न. 359 / 361 (7) कि.न. 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 1, 3 / 2, 4 / 1, 4 / [illegible] 9, 10 / 1, 10 / 2, 11 ता 14, 19 ता 21 की 3.2510 प.न. 359 / 362 [illegible] 10 की 0.5060 कुल 19.1880 हैक्टयर भूमि में से 272 हिस्सा भूमि मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट [illegible] फेफाना तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर को विरास्तन प्राप्त हुई एवं 272 हिस्सा भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8–6–1989 से प्राप्त हुई कुल 544 हिस्सा भूमि में से माईनर में भूमि अवाप्त होने के बाद 507–2/3 हिस्सा भूमि शेष रही जिसमें से जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8–6–1989 से प्राप्त भूमि की अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 25–7–1990 को उप पंजियक नोहर से अपने चार पुत्रो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर का दिनांक 20–10–2002 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 मुताबिक वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर विवादित भूमि 507–2/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन मातहत अदालत द्वारा मुताबिक वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 4 ता 7 एवं साहबराम पुत्र मातराम के नाम विधि विरूद्ध तरीके से विवादित भूमि का इन्तकाल न. 448 दिनांक 20–02–2008 को विरास्तन तस्दीक कर दिया गया जबकि साहबराम पुत्र मातराम व रेस्पोडेन्ट न. 4 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है इसलिए मातहत अदालत ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नहीं कर कानून की स्पस्ट अवहेलना कर इन्तकाल न. 448 दिनांक 20–02–2008 को तस्दीक किया गया है जो निरस्त योग्य है।

साहबराम पुत्र मातराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारीस रेस्पोडेन्ट न. 1 ता 3 ही है। साहबराम पुत्र मातराम व रेस्पोडेन्ट न. 4 ने साजिसाना तरिके से विवादित भूमि में हक व हिस्सा ना होने के बावजूद भी वसीयत को नजर अन्दाज कर विरास्तन इन्तकाल गुपचुप तरिके से मातहत अदालत से दिनांक 05.01.2021 को इंतकाल संख्या 1010 तस्दीक करवा लिया गया जो विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। मातहत अदालत ने निर्णय पारीत करने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा संम्बधी जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। वसीयत दिनांक 25–7–1990 में स्पस्ट लिखा है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 को ही विवादित भूमि प्राप्त होगी अन्य किसी वारीस का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा उसके बावजूद भी मुताबिक वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं कर मातहत अदालत ने अहम् भूल की है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है। मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व [illegible] को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर [illegible] मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी [illegible] निर्णय निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 अपने हक व हिस्सा की भूमि को लगातार कास्त करते आ रहे एवं मुताबिक वसीयत वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है लेकिन ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है ना ही रिकार्ड को देखा अब मुताबिक वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के लिए मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को विरास्तन इन्तकाल न. 1010 दिनांक 05.01.2021 की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी होते ही हल्का पटवारी से इतंकाल की नकल दिनांक 14–7–2021 को प्राप्त की तब विधि विरूद्ध इंतकाल के दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 1010 रोही मोजा चक न. 1 जे. एस.एन. तहसील नोहर दिनांक 05.01.2021 निरस्त करने का आदेश फरमावे ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट स0 1 व 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित शेष रेस्पो0 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थ्ज्ञित नही अतः रेस्पोडेंटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अपील में वर्णित भूमि मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर को विरास्तन प्राप्त हुई एवं 272 हिस्सा भूमि जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8–6–1989 से प्राप्त हुई कुल 544 हिस्सा भूमि में से माईनर में भूमि अवाप्त होने के बाद 507–2/3 हिस्सा भूमि शेष रही जिसमें से जरिये दस्तबरदारी दिनांक 8–6–1989 से प्राप्त भूमि की अपने जीवन काल में ही एक वसीयत दिनांक 25–7–1990 को उप पंजियक नोहर से अपने चार पुत्रो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर का दिनांक 20–10–2002 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 मुताबिक वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर विवादित भूमि 507–2/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन मातहत अदालत द्वारा मुताबिक वसीयत दिनांक 25–7–1990 के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 4 ता 7 एवं साहबराम पुत्र मातराम के नाम विधि विरूद्ध तरीके से विवादित भूमि का इन्तकाल न. 10[illegible] 05[illegible] विरास्तन तस्दीक कर दिया गया जबकि उक्त नामान्तरण संख्या 10[illegible] अपीलांट को सुना गया एवं न ही अपीलांट को कोई नोटिस ज[illegible] अदालत ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नहीं कर कानून की स्पस्ट अवहेलना कर इन्तकाल न. 1010 दिनांक 05.01.2021 को तस्दीक किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि का नामान्तरण सही दर्ज हुआ है उक्त भूमि पूर्व में मातराम के वारिसान के नाम दर्ज थी अर्थात दादालाई भूमि जिसका मातराम को वसीयत करने का अधिकार ही नही था एवं नामान्तरण 448 दिनांक 20.02.2008 को विरासतन दर्ज हुआ है जो की सही दर्ज किया गया है एवं साबराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि का विरासतन नामान्तरण स0 1010 दिनांक 05.01.2021 दर्ज हुआ है। माननीय सिविल न्यायालय में वसीयत बाबत वाद जैरकार है एवं नामान्तरण स0 444 दिनांक 20.10.2008 को खारिज करवाने हेतु अपीलांट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जगदीश में अपील पेश की थी जो की दिनांक 14.02.2023 को खारिज की जा चुकी है। रेस्पो को विरासतन इंतकाल का ध्यान था क्योंकि इन्होने केसीसी करवाई है केवल हमे तंग व परेशान करने के लिए करीबन 18 वर्ष बाद यह अपील पेश की है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन निर्णयों व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। मातराम का देहान्त दिनांक 20.10.2002 को हुआ एवं नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 20.02.2008 को विरासतन दर्ज हुआ है जो की मातराम के सभी वारिसान के नाम दर्ज हुआ है एवं उक्त नामान्तरण से रेस्पो के पिता के नाम भूमि दर्ज हुई एवं रेस्पो के पिता के देहान्त के बाद नामान्तण संख्या 1010 दिनांक 05.01.2021 को दर्ज हुआ है। अपीलांट व रेस्पो0 द्वारा केसेसी लॉन लिया गया है जिसका नामान्तरण दर्ज किया गया है इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट को नामान्तण संख्या 448 का भलीभांती ज्ञान था अपीलंट के पक्ष में दिनांक 25.07.1990 को वसीयत की गई एवं मातराम का देहान्त वर्ष 2002 में हुआ तथा विरासतन नामान्तरण 2008 व साहबराम के देहान्त के बाद 2021 में दर्ज हुआ है नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 20.02.2008 की अपील भी अपीलांट द्वारा 2021 में पेश की गई है साहबराम के जीवनकाल में अपीलांट द्वारा कोई ऐतराज नही किया गया है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वसीयत की अपील सिविल न्यायालय में जैरकार है एवं अपीलांट द्वारा नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी खारिज किया जा चुका है उपरोक्त विवेचनास्वरूप मातहत अदालत द्वारा पारित किया निर्णय विधिसम्मत है। उपरोक्त विवेचनास्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर